न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

प्रार्थना पत्र/सरफेसी एक्ट/2024/87

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गुमाईश रोड, भरतपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी

बनाम

1. स्व0 श्री सौदान सिहं पुत्र श्री रामजीलाल के समस्त विधिक उत्तराधिकारीगण
2. श्रीमती बिजेश उर्फ बजलता पत्नि स्व श्री सौदान सिहं
3. श्रीमती नीलम पुत्री स्व श्री सौदान सिहं
4. श्री गौरव पुत्र स्व0 श्री सौदान

(स्व0 श्री सौदान सिहं के विधिक उत्तराधिकारी)

निवासीयान सौदान सिहं सरपंच का घर, पीपला, भरतपुर राज0

.....अप्रार्थीगण/ऋणी/सहऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटि इन्टरेस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात 'एक्ट' से संबोधित किया गया है बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

आदेश दिनांक 22.11.2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थी को बीआरकेजीबी अपना वाहन ऋण खाता सं0 44740600000599 दिनांक 30.12.2019 को कुल ऋण राशि 8,35,000/– (शब्देन आठ लाख पैंतीस हजार रूपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया गया था। परन्तु अप्रार्थी/ऋणी द्वारा लिये गये ऋण को समय पर नहीं चुकाये जाने के कारण ऋण के एवज में प्रार्थी बैंक के हक में बंधक रखी गई कार टाटा नेक्सॉन एक्सएम 1.5 आरटीक्यू बीएस व्हील बेस, रजि. नं. यूपी 85 बीक्यू 6991, इंजन नं. 1.5 सीआरआईएएल 01 एनपीवाईडब्ल्यू 23091, चेचिस नं. एमएटी 627121केएलएन 44307, निर्माण वर्ष 2019, रंग कैलगरी व्हाईट जो कि स्व0 श्री सौदान सिहं पुत्र श्री रामजीलाल जरिये विधिक उत्तराधिकारी के स्वामित्व एवं आधिपत्य में है पर भौतिक कब्जा एवं सम्बन्धित डॉक्यूमेन्टस का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने हेतु पेश किया गया है।

2.....

जिला कलक्टर
भरतपुर

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से जाहिर आया कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी की कार टाटा नेक्सॉन एक्सएम 1.5 आरटीक्यू बीएस व्हील बेस, रजि. नं. यूपी 85 बीक्यू 6991, इंजन नं. 1.5 सीआरआईएएल 01 एनपीबाईडब्ल्यू 23091, चेचिस नं. एमएटी 627121केएलएन 44307, निर्माण वर्ष 2019, रंग कैलगरी व्हाईट जो कि स्व0 श्री सौदान सिंह पुत्र श्री रामजीलाल जरिये विधिक उत्तराधिकारी के स्वामित्व एवं आधिपत्य में है को प्रार्थी बैंक के हक में दृष्टिबंधक किया था व दृष्टिबंधक विलेख निष्पादित किया गया था। जिसके एवज में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी. को बीआरकेजीबी अपना वाहन ऋण खाता सं0 44740600000599 दिनांक 30.12.2019 को कुल ऋण राशि 8,35,000/– (शब्देन आठ लाख पैंतीस हजार रूपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया गया था। परन्तु अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा बंधक अभिलेखानुसार ऋण का भुगतान नहीं किया गया है। जिसके कारण प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 12.06.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग 60 दिन में, बकाया ऋण राशि 4,09,296.93/– (चार लाख नौ हजार दो सौ छियानवे रू. तिरानवे पैसे मात्र) एवं दिनांक 12.06.2024 तक की ब्याज एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे लागत इत्यादि जमा कराये जाने हेतु दिनांक 29.08.2024 को सभी अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किये गये हैं। जो दिनांक 11.09.2024 को अप्रार्थी को डिलीवर्ड/प्राप्त हो गये हैं। प्रार्थी/ऋणी द्वारा निर्धारित समयावधि 60 दिवस समाप्त होने के पश्चात भी कोई राशि जमा नहीं कराई गई है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा ऋण अभिलेख निष्पादित करते समय बैंक के हक में बंधक रखी गई चल सम्पत्ति कार टाटा नेक्सॉन को प्रार्थी बैंक के हक में भौतिक कब्जा दिया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है किः–

उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। साथ ही अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा ऋण लेते समय प्रार्थी बैंक के हक में बंधक रखी गई कार टाटा नेक्सॉन एक्सएम 1.5 आरटीक्यू बीएस व्हील बेस, रजि. नं. यूपी 85 बीक्यू 6991, इंजन नं. 1.5 सीआरआईएएल

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

01 एनपीवाईडब्ल्यू 23091, चेचिस नं. एमएटी 627121केएलएन 44307, निर्माण वर्ष 2019, रंग कैलगरी व्हाईट जो कि स्व0 श्री सौदान सिहं पुत्र श्री रामजीलाल जरिये विधिक उत्तराधिकारी के स्वामित्व एवं आधिपत्य में है को प्रार्थी बैंक के हक में दृष्टिबंधक किया था व दृष्टिबंधक विलेख निष्पादित किया गया था, का भौतिक कब्जा एवं सम्बन्धित डॉक्यूमेन्टस का कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता कि प्रार्थी बैंक द्वारा भौतिक कब्जा लेते समय प्रार्थी बैंक के स्वयं के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर